गेल (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः 16, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली – 110066
सीआईएनः L40200DL1984GOI018976 वेबसाइटः www.gailonline.com ई–मेलः shareholders@gail.co.in
फोनः 011–26182955, फैक्सः 011–26185941

नोटिस

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों की **सैंतीसवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 9 सितंबर, 2021 को प्रातः 11.30 बजे,** वीडियो कांफ्रेंसिंग मोड (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसायों के लेनदेन के लिए आयोजित की जाएगीः

सामान्य व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित पृथक वित्तीय विवरण के साथ–साथ समेकित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, उन पर विचार करना और अपनाना, बोर्ड की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों तथा एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करनाः

   "संकल्प लिया जाता है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित पृथक वित्तीय विवरण के साथ–साथ समेकित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त किया जाए, उन पर विचार किया जाए और उन्हें अपनाया जाए।"

2. फरवरी, 2021 और मार्च, 2021 के महीने में पहले से ही भुगतान की गई कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर क्रमशः 1 और 2 अंतरिम लाभांश की दर से 25% (रु. 2.50/– प्रति इक्विटी शेयर) के भुगतान की पुष्टि करने तथा एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने की पुष्टि करनाः

   "संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर प्रत्येक 25% (रु. 2.50/–प्रति इक्विटी शेयर) की दर से पहला और दूसरा अंतरिम लाभांश तथा पहले से ही क्रमशः फरवरी, 2021 तथा मार्च, 2021 के महीने में किए गए भुगतान को एतद्वारा नोट किया जाता है और इसकी पुष्टि की जाती है।"

3. रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक (विपणन) श्री ई.एस. रंगनाथन के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं का पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्ताव किया है और एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करनाः

   "संकल्प लिया जाता है कि श्री ई.एस. रंगनाथन, निदेशक (विपणन) (डीआईएन–07417640) को एतद्वारा पुनः कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे।"

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के संदर्भ में वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक(कों) का पारिश्रमिक निर्धारित करने और एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करनाः

   "संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक(कों) के पारिश्रमिक पर निर्णय लेने और उसे निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाए।"

विशेष व्यवसाय

एक साधारण संकल्प(कों) के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए उन पर विचार करना, और यदि योग्य पाए जाएं तो उन्हें पारित करनाः

5. **श्री एम.वी. अय्यर (डीआईएन–08198178) को कंपनी के निदेशक (व्यापार विकास) के रूप में नियुक्त करना**

   "संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, श्री एम.वी. अय्यर (डीआईएन–08198178) जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा एमओपीएनजी के दिनांक 25 नवंबर, 2020 के पत्र सं. सीए/31022/2/2018–पीएनजी (33353) के माध्यम से निदेशक (व्यापार विकास) के रूप में नामित किया गया था तथा निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के निदेशक (व्यापार विकास) का पद धारित करने के लिए 25 नवंबर, 2020 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक (व्यापार विकास) के पद पर नियुक्त किया जाता है, जो ऐसी निबंधन एवं शर्तों, पारिश्रमिक और कार्यकाल पर रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे, जैसा कि भारत के राष्ट्रपति/भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा।

6. **कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन**

   "संकल्प लिया जाता है कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (किसी भी सांविधिक संशोधन(नों) या उसके पुनः अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हों) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी की विभिन्न इकाइयों के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त लागत लेखा परीक्षक(कों) को लागू कर सहित देय कुल/सकल पारिश्रमिक, 24,00,000 रुपए (24 लाख रुपए मात्र) और जेब से किए जाने वाले व्यय आदि की पुष्टि की जाती है।"

7. **पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के साथ सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन**

   "संकल्प लिया जाता है कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2013 (किसी भी सांविधिक संशोधन(नों) या उसके पुनः अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हों) के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 23 के प्रावधानों के अनुसरण में, एतद्द्वारा संबंधित पार्टी होने के नाते वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड सहित सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए, तथा बाद के वित्तीय वर्षों के दौरान माल, सामग्री की खरीद के लिए, व्यापार के सामान्य तरीके में सेवाओं या अन्य संसाधनों और दायित्वों का लाभ उठाने और स्वतंत्र आधार पर व्यावसाय करने के लिए कंपनी के सदस्यों की मंजूरी प्रदान की जाती है, जो भौतिक प्रारंभिक सीमा से अधिक हो सकती है अर्थात् पिछले लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक के रूप में या ऐसी अन्य प्रारंभिक सीमा जैसा कि सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएगी।

बोर्ड के आदेशानुसार

हस्ता./–
(ए.के. झा)
कंपनी सचिव

दिनांकः 9 अगस्त, 2021
स्थानः नई दिल्ली

टिप्पणियां

1. मौजूदा कोविड–19 वैश्विक महामारी को देखते हुए सामाजिक दूरी एक पूर्वापेक्षा है जिसका अनुपालन किया जाना एक आवश्यकता है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (एमसीए परिपत्र) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/1 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और सेबी/एचओ/ सीएफडी/सीएमडी1/पी/सीआईआर/2021/602 दिनांक 23 जुलाई, 2021 (सेबी परिपत्र) के द्वारा वीसी/ओवीवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति प्रदान की गई है।

   उक्त परिपत्रों के संदर्भ में सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसलिए, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए विस्तृत प्रक्रिया को नोटिस में समझाया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट www.gailonline.com पर भी उपलब्ध है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 105 के अनुसरण में, किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने, किसी सदस्य की ओर से आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने की अनुमति दी जाती है जो व्यक्तिगत रूप से भाग लेने में सक्षम नहीं है। चूंकि, कंपनी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित कर रही है, इसलिए सदस्यों के लिए मतदान करने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है और प्रॉक्सी फॉर्म नोटिस का हिस्सा नहीं होगा।

3. अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के उद्देश्य से या एजीएम में भागीदारी और मतदान के लिए सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है। इस संबंध में बोर्ड संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी की विधिवत प्रमाणित प्रति, उनके प्रतिनिधि को अधिकृत करने के लिए कंपनी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

4. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 के साथ एजीएम का नोटिस केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिनके ईमेल पते कंपनी/जमाकर्ताओं के साथ पंजीकृत हैं।

5. 37वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 का नोटिस कंपनी की वेबसाइट **www.gailonline.com** पर उपलब्ध है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** से तथा सीडीएसएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग सुविधा और ई–वोटिंग सिस्टम उपलब्ध कराने की एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् **www.evotingindia.com** से भी प्राप्त किया जा सकता है।

6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम गणना करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

7. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर 1,000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर बिना प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

8. नोटिस में संदर्भित संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/पन्ना नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए **6 सितंबर, 2021** को या उससे पहले **shareholders@gail.co.in** को एक ईमेल भेज सकते हैं।

9. जिन सदस्यों ने अपने लाभांश वारंट को नहीं भुनाया है, वे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरण होने के कम से कम 3 सप्ताह पहले इस संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर मांग मसौदा जारी करने के लिए आरएंडटीए/कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। आईईपीएफ को भुगतान/दावा न की गई राशि के हस्तांतरण के बाद, कंपनी/आरएंडटीए पर कोई दावा नहीं रहेगा। लाभांश और अन्य संबंधित जानकारी की पद्धतियों के बारे में, सदस्यों से निगमित शासन पर रिपोर्ट के **"लाभांश"** खंड का उल्लेख करने का अनुरोध किया जाता है और आगे के संदर्भ के लिए वे कंपनी की वेबसाइट पर **"निवेशक क्षेत्र"** खंड भी देख सकते हैं। आरएंडटीए ने एक विशेष ई–मेल आईडी admin@mcsregistrars.com भी बनाई है ताकि निवेशकों को उनके अनुरोध(धों)/शिकायत(तों) को पंजीकृत करने की सुविधा मिल सके।

10. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकार (लेखांकन, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के नियम 6(3)(क) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) की आवश्यकता के अनुसरण में, ऐसे सभी शेयर, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा। तथापि, जिन शेयरधारकों के भुगतान/दावा न किए गए लाभांश(शों)/शेयरों को आईईपीएफ को हस्तांतरित किया गया है, वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे दावों के संबंध में लाभांश/शेयर प्राप्त करने के पात्र होंगे। कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का ब्यौरा निम्नलिखित लिंक– https://gailonline.com/pdf/InvestorsZone/Dividendhistory.pdf पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है और आईईपीएफ पर लागू लाभांश/शेयरों के हस्तांतरण की नियत तिथि का विवरण निम्नलिखित लिंक– https://gailonline.com/pdf/InvestorsZone/IEPFtable.pdf पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

11. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) उपलब्ध कराना अनिवार्य किया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को पैन नं. उपलब्ध कराएं जिनके साथ उनके डीमैट खाते हैं और जिन्हें उन्होंने अभी तक अद्यतन नहीं किया है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य आरएंडएपी/कंपनी को अपना पैन विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

12. यथा संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ख्सेबी (एलओडीआर), के विनियम 40 के अनुसार, सौंपने या हस्तांतरण के लिए प्राप्त अनुरोध तथा प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को पुनः दर्ज करने के अनुरोध के मामले को छोड़कर, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल, 2019 से डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा, सेबी ने दिनांक 2 दिसंबर, 2020 के अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/आरटीएएमबी/सीआईआर/पी/2020/236 द्वारा हस्तांतरण विलेखों को पुनः दर्ज करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 निर्धारित की गई है और हस्तांतरण द्वारा पुनः दर्ज किए जाने वाले शेयरों को केवल डीमैट मोड में ही जारी किया जाएगा। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी शेयरधारिता को डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में बदलने पर विचार करें।

13. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों, जिनके नाम समान क्रम में एक से अधिक पन्ने में हैं, को इन्हें कंपनी या आरएंडटीए को भेजने का अनुरोध किया जाता है, मूल शेयर प्रमाण–पत्रों सहित ऐसे पन्ने का विवरण एक ही पन्ने में दर्ज करना उनकी शेयरधारिता को सुदृढ़ करेगा। अपेक्षित परिवर्तन करने के बाद ऐसे सदस्य को समेकित शेयर प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।

14. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है और किसी भी भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म और आयोजन स्थल का रूट मैप नोटिस का हिस्सा नहीं होगा।

15. **वार्षिक आम बैठक की वेबकास्टिंग**

   सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44 के संदर्भ में, कंपनी **9 सितंबर, 2021 को प्रातः 11.30 बजे** शेयरधारकों के लिए वार्षिक आम बैठकों की कार्यवाही का एक तरफा लाइव **'वेबकास्ट'** प्रदान कर रही है। आप गेल की वेबसाइट (www.gailonline.com) पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

16. **रिमोट ई–वोटिंग के निर्देश**

   कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा 37वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन संबंधी नोटिस में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। कंपनी ने रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डिपॉजिटरी अर्थात् सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं ली हैं।

   रिमोट ई–वोटिंग सुविधा लिंक **www.evotingindia.com** पर उपलब्ध है। कृपया अपने वोट का प्रयोग करने से पहले नीचे मुद्रित निर्देशों को पढ़ लें।

   रिमोट ई–वोटिंग की अवधि रविवार, **5 सितंबर, 2021 (9:00 बजे) (भारतीय समयानुसार) से शुरू होगी और बुधवार, 8 सितंबर, 2021 (सायं 5:00 बजे) (भारतीय समयानुसार)** को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान कंपनी के सदस्य, या तो भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने के पात्र हैं, क्योंकि **अंतिम तारीख अर्थात् गुरुवार, 2 सितंबर, 2021** को वे केवल रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

17. **रिमोट ई–मतदान के चरणः**

   मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने तथा सेबी के दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसरण में, सभी डीमैट खाताधारकों को एकल लॉगिन परिचय–पत्र के माध्यम से जमाकर्ताओं/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपीपीएस) के डीमैट खातों/वेबसाइटों के माध्यम से ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। डीमैट खाताधारक ई–वोटिंग सेवा प्रदाता ('ईएसपी' के साथ फिर से पंजीकरण कराए बिना अपना वोट डाल सकेंगे जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई–वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में आसानी और सुविधा भी होगी। इसके अलावा, शेयरधारकों को ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीपी के साथ अपना मोबाइल नंबर और ई–मेल–आईडी अद्यतन करने की सलाह दी जाती है।

क) ई–वोटिंग के लिए लॉगइन विधि और सीडीएसएल/एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए आभासी बैठक में शामिल होनाः

शेयरधारकों का प्रकार	शेयरधारकों का प्रकार
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) जिन यूजर्स ने सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्टल सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। यह विकल्प बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई–वोटिंग पेज तक पहुंचने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ईजीएस्टट में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ताओं को यूआरएल **https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login** या **www.cdslindia.com** पर जाना होगा और लॉगइन आइकन पर क्लिक करके नए सिस्टम माईईजी का चयन करना होगा। 2) सफल लॉगिन के बाद ईजी/ईजीएस्टस उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए ई–वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ई–वोटिंग चल रहा है। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान आभासी बैठक और मतदान में शामिल होने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता का ई–वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई–मतदान सेवा प्रदाताओं अर्थात् सीडीएसएल/एनएसडीएल/केएआरवीवाई/लिंकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए भी लिंक प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प **https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration** पर उपलब्ध है। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता सीधे होम पेज पर उपलब्ध ई–वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन प्रदान करके ई–वोटिंग पेज **www.cdslindia.com** पर जा सकता है या **https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin** पर क्लिक कर सकता है। 5) यह सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी भेजकर यूजर को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद यूजर ई–वोटिंग का विकल्प देख सकेंगे जहां ई–वोटिंग चल रही है और सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होंगे।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई–सेवा वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें: **https://eservices.nsdl.com**। ई–सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, **"लॉगिन"** के तहत **"लाभार्थी मालिक"** आइकन पर क्लिक करें जो **"आईडीईएएस"** खंड के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। इसके लिए आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई–वोटिंग सेवाएं देख सकेंगे। ई–वोटिंग सेवाओं के तहत **"ई–वोटिंग तक पहुंच"** पर क्लिक करें और आप ई–वोटिंग पेज देख सकेंगे। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान आभासी बैठक और मतदान में शामिल होने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर फिर से निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई–सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प **https://eservices.nsdl.com** पर उपलब्ध है। **"आईडीईएएस के लिए ऑनलाइन रजिस्टर"** चुनें या **https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp** पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित यूआरएल या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: **https://www.evoting.nsdl.com/**। ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, आइकन **"लॉगिन"** पर क्लिक करें जो **"शेयरधारक/सदस्य"** अनुभाग के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। इसके लिए आपको अपनी यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के साथ रखे गए अपने सोलह अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जिसमें आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान आभासी बैठक और मतदान में शामिल होने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
व्यक्तिगत शेयरधारकों (डीमैट मोड में धारित प्रतिभूतियां) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगइन	आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी भागीदार के माध्यम से अपने डीमैट अकाउंट के लॉगइन परिचय–पत्र का इस्तेमाल करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद आपको ई–वोटिंग का विकल्पल देखने को मिलेगा। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जिसमें आप ई–वोटिंग फीचर देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई–मतदान अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान आभासी बैठक और मतदान में शामिल होने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोटः जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे फॉर्गेट यूजर आईडी और उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्गेट पासवर्ड विकल्प का प्रयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क विवरण इस प्रकार हैः

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022–23058738 और 022–23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 18001020990 और 1800224430 पर कॉल कर सकते हैं।

ख) ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए आभासी बैठकों में शामिल होनाः

(i) शेयरधारकों को ई–वोटिंग वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर लॉगिन करना चाहिए।

(ii) "शेयरधारक" मॉड्यूल पर क्लिक करें।

(iii) अब अपनी यूजर आईडी डालें।

- क. सीडीएसएल के लिएः 16 अंक वाली लाभार्थी आईडी,
- ख. एनएसडीएल के लिएः 8 कैरेक्टर डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंक वाली ग्राहक आईडी,
- ग. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।

(iv) इसके बाद प्रदर्शित इमेज सत्यापन दर्ज करें और लॉगइन पर क्लिक करें।

(v) यदि आप डीमैट फॉर्म में शेयर रख रहे हैं और आपने **www.evotingindia.com** पर लॉगिन किया था और किसी भी कंपनी के पहले ई–वोटिंग पर मतदान किया था, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करें।

(vi) यदि आप पहली बार यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करेंः

	भौतिक शेयरधारकों के लिए और व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा डिमैट में शेयर रखने वाले
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा–न्यूमेरिक *पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ–साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों पर लागू) * जिन शेयरधारकों ने कंपनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे क्रम संख्या का इस्तेमाल करें।
लाभांश बैंक ब्यौरा **अथवा** जन्म तिथि (डीओबी)	लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दिवस/माह/वर्ष अर्थात् ––/––/–––– प्रारूप में) दर्ज करें, जैसा कि लॉगइन करने के लिए अपने डीमैट खाते में या कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटर या कंपनी के साथ दर्ज नहीं किए गए हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण क्षेत्र में सदस्य आईडी/फोलियो नंबर दर्ज करें जैसा कि अनुदेश (iii) में उल्लेख किया गया है।

(vii) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

(viii) इसके बाद भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक सीधे कंपनी सेलेक्शन स्क्रीन पर जाएं। तथापि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक अब 'पासवर्ड सृजन' मेनू पर जाएं जिसमें उन्हें नए पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के संकल्पों पर मतदान के लिए भी किया जाना है जिस पर वे मतदान करने के पात्र हैं, बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई–वोटिंग का विकल्प चुने। यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

(ix) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस नोटिस में निहित संकल्पों पर ई–मतदान के लिए किया जा सकता है।

(x) बहु डीमैट खाते/फोलियो रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक डीमैट खाते/फोलियो के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।

(xi) संबंधित कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड जिसे आप मतदान के लिए चुनते हैं, हेतु ईवीएसएन पर क्लिक करें।

(xii) मतदान पृष्ठ पर, आप "संकल्प विवरण" और उसी के सामने मतदान के लिए "हां/नहीं" विकल्प देखेंगे। अपनी इच्छानुसार विकल्प हां या नहीं चुनें। विकल्प हां का तात्पर्य है कि आप संकल्प से सहमत हैं और विकल्प नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं।

(xiii) यदि आप पूरा संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें।

(xiv) संकल्प का चयन करने के बाद आपने मतदान करने का फैसला किया है, तो "सबमिट" पर क्लिक करें। पुष्टि संबंधी एक बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "ठीक है" पर क्लिक करें, और अपना वोट बदलने के लिए, "रद्द" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।

(xv) एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की "पुष्टि" करते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xvi) आप मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट करने के लिए यहां क्लिक करें" पर क्लिक करके डाले गए मतों का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xvii) यदि कोई डीमैट खाताधारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है, तो यूजर आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करें और भूल गए पासवर्ड पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा दिए गए संकेत के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(xviii) शेयरधारक सीडीएसएल के मोबाइल ऐप "एम–वोटिंग" का उपयोग करके भी अपना वोट डाल सकते हैं। एम–वोटिंग ऐप को संबंधित ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया अपने मोबाइल पर रिमोट वोटिंग करते समय मोबाइल ऐप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।

(xix) गैर–व्यक्तिगत शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए टिप्पणी – केवल रिमोट वोटिंग के लिए।

- गैर–व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षक को **www.evotingindia.com** पर लॉग ऑन करना होगा और "कॉर्पोरेट्स" मॉड्यूल में स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है।
- संस्था की मुहर और हस्ताक्षर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन की गई प्रति को **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को ईमेल किया जाना चाहिए।
- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग करके अनुपालन यूजर बनाया जाना चाहिए। अनुपालन यूजर उस खाते(तों) को लिंक करने में सक्षम होंगे जिसके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।
- लॉगिन में जुड़े खातों की सूची **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को भेज दी जानी चाहिए और खातों का अनुमोदन होने पर वे अपना वोट डालने में सक्षम होंगे।
- बोर्ड संकल्प और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की एक स्कैन कॉपी, यदि कोई हो, जो उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी की है तो उसे संवीक्षक द्वारा सत्यापित करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया जाना चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर–व्यक्तिगत शेयरधारकों को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार–पत्र आदि को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक को और कंपनी के ईमेल पते अर्थात्; **shareholders@gail.co.in** (कंपनी द्वारा नामित ईमेल पता) पर भेजा जाना होता है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है और इसे संवीक्षक द्वारा सत्यापित किए जाने के लिए सीडीएसएल ई–मतदान प्रणाली में अपलोड नहीं किया है।

  यदि आपके पास ई–मतदान प्रणाली से एजीएम और ई–वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या मुद्दे हैं, तो आप मदद खंड के तहत **www.evotingindia.com** पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई–वोटिंग नियमावली का उल्लेख कर सकते हैं या 022–23058738 और 022–23058738 और 022–23058542/43 पर **helpdesk.evoting@cdslindia.com** से संपर्क करने के लिए ईमेल लिख सकते हैं।

  इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों के समाधान के लिए कृपया श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर पारेल (पूर्व), मुंबई–400013 से संपर्क करें या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ईमेल भेजें या 022–23058542/43 पर कॉल करें।

बैठक के दौरान वीसी/ओएवीएम और ई–वोटिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश इस प्रकार हैः

i) एजीएम के दिन बैठक और ई–वोटिंग में भाग लेने की प्रक्रिया ई–वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।

ii) बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध होगा जहां ई–वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद कंपनी के ईवीएसएन को प्रदर्शित किया जाएगा।

iii) जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई–वोटिंग के जरिए मतदान किया है, वे बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

iv) शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

v) इसके अलावा शेयरधारकों को कैमरे के इस्तेमाल की अनुमति देने और बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति वाले इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

vi) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागी या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लिंकिंग लैपटॉप के माध्यम से अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की उपर्युक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

vii) बैठक के दौरान जो शेयरधारक अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे **3 सितंबर, 2021 (प्रातः 9:00 बजे) से 6 सितंबर, 2021 (सायं 05.00 बजे)** तक **shareholders@gail.co.in** में अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/पन्ना नंबर, आइडी ईमेल और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करके ऐसा कर सकते हैं। जिन शेयरधारकों ने स्वायं को वक्ताो के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें बैठक के दौरान केवल अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।

कंपनी को एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या सीमित करने का अधिकार है।

इसके अलावा, 37वीं एजीएम में रखे जाने वाले वित्तीय विवरणों या किसी अन्य मामले के संबंध में जानकारी मांगने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे shareholders@gail.co.in पर प्रश्न पूछने के साथ अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/पन्ना नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए 6 सितंबर, 2021 को या उससे पहले कंपनी को लिखें। इन प्रश्नों का कंपनी द्वारा ईमेल के माध्यम से उपयुक्त रूप से उत्तर दिया जाएगा।

viii) केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और उन्होंने दूरस्थ ई–वोटिंग मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई–मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

ix) यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई–वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट डाला जाता है और यदि उन्हीं शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए मत अमान्य माने जाएंगे क्योंकि बैठक के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

18. उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल पते इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्पों पर ई–मतदान हेतु लॉगिन परिचय–पत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकृत नहीं हैंः

(i) भौतिक शेयरधारकों के लिए – कृपया पन्ना संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण–पत्र की स्कैन की गई प्रति (अगला और पिछला पृष्ठ), पैन (स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी) जैसे आवश्यक विवरण ईमेल द्वारा **shareholders@gail.co.in/admin@mcsregistrars.com** को ईमेल द्वारा प्रदान करें।

(ii) डीमैट शेयरधारकों के लिए – कृपया अपने ईमेल आईडी और मोबाइल अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ अद्यतन करें या वैकल्पिक रूप से, कृपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल–16 अंक वाली लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल–16

अंकों वाली डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी) **shareholders@gail.co.in/admin@mcsregistrars.com** पर प्रदान करें।

19. सामान्य निर्देशः

i) जिन सदस्यों ने अभी तक अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है या जो अपनी ई–मेल आईडी बदलना चाहते हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित डीपी (इलेक्ट्रॉनिक धारिता के लिए) या आरएंडटीए/कंपनी (भौतिक धारिता के लिए) के साथ संपर्क करें, ताकि कंपनी द्वारा समय–समय पर भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र, एनएसीएच सूचना आदि सहित सभी पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त हो सकें।

ii) सदस्यों के मताधिकार अंतिम तारीख अर्थात् गुरुवार, **2 सितंबर, 2021** को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के लिए उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। सदस्य वार्षिक आम बैठक में लेन–देन के लिए प्रत्येक व्यवसाय के लिए अलग से वोट डाल सकते हैं और किसी भी संकल्प(पों) पर मतदान न करने का चयन भी कर सकते हैं।

iii) श्री सचिन अग्रवाल, कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफ–5774) से प्राप्त सहमति के आधार पर, बोर्ड ने उन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है।

iv) बैठक के समापन के बाद अध्यक्ष एजीएम के समापन की घोषणा करेंगे। संवीक्षक एजीएम में मतदान के समापन के बाद कम से कम दो गवाहों, जो कंपनी में कार्यरत न हों, की उपस्थिति में एजीएम की तारीख को ई–वोटिंग सहित रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से डाले गए मतों को अनब्लॉक करेंगे, और उनके पक्ष में या उसके खिलाफ डाले गए कुल मतों, यदि कोई हो, की समेकित जांच रिपोर्ट तैयार करेगा, जो एजीएम के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर होगी। उक्त रिपोर्ट पर अध्यक्ष द्वारा या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे और मतदान का परिणाम तत्काल घोषित किया जाएगा।

v) संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट **www.gailonline.com** पर और सीडीएसएल की वेबसाइट पर डाले जाएंगे। परिणाम एक साथ स्टॉक एक्सचेंज(जों) को सूचित किए जाएंगे।

vi) परिणाम इसके पंजीकृत कार्यालय में कंपनी के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

vii) जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता होती है, वे निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों में से किसी पर सीडीएसएल से संपर्क कर सकते हैं:

संबंधित अधिकारी का नाम	संपर्क संख्या	ई–मेल आईडी
श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक	022–23058542/43 और 022–23058738	helpdesk.evoting@cdslindia.com

20. नोटिस के साथ निम्नलिखित संलग्न हैः

i) भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण और विशेष व्यवसाय(यों) के संबंध में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के प्रावधान के अनुसार भी इसे अनुमोदित किया गया।

ii) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36 में अनिवार्य रूप से नियुक्ति/पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशक का एक संक्षिप्त जीवन–वृत्त। समिति के पदों के निर्धारण के उद्देश्य से, अध्यक्षता/सदस्यता की गणना केवल लेखापरीक्षा समिति और स्टेकधारक संबंध समिति पर विचार करते हुए की जाती है।

सामान्य बैठकों और सेबी (एलओडीआर) पर सचिवीय मानक (एसएस–2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 4

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार, लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक कंपनी की आम बैठक में या इस तरह से जैसा कि उसमें निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) के विनियम 18(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति को बोर्ड को वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के निर्धारण की सिफारिश करनी होती है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक(कों) की नियुक्ति करते हैं। तदनुसार, एजीएम में सदस्यों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और प्राधिकार के संबंध में सीएंडएजी से सूचना प्राप्त होने पर निदेशक मंडल लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक पर निर्णय लेता है और उसे निर्धारित करता है। पारिश्रमिक सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा, प्रचलित कानूनों और विनियमों में संशोधन और समकक्ष कंपनियों में लेखापरीक्षा शुल्क के अनुरूप है।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके रिश्तेदार की संकल्प में वित्तीय रूप से कोई रुचि नहीं है या वे उससे संबद्ध नहीं हैं, सिवाय इसके कि कंपनी में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा संबंधित या प्रस्तावित संकल्प में निर्धारित मानी जाएगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने शेयरधारक(कों) के अनुमोदन के लिए संलग्नं नोटिस में निर्धारित संकल्प (संकल्पों) की सिफारिश की है।

मद सं.5

श्री एम.वी. अय्यर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्णकालिक आधार पर एमओपीएनजी के दिनांक 25 नवंबर, 2020 के पत्र सं. सीए–31022/2/2018– पीएनजी (33353) के द्वारा निदेशक (व्यापार विकास) के रूप में नामित किया गया था। उन्हें इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार 25 नवंबर, 2020 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बोर्ड सिफारिश करता है कि श्री एम.वी. अय्यर को कंपनी के निदेशक (व्यापार विकास) के रूप में नियुक्त किया जाए, जो समय–समय पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले ऐसी निबंधन एवं और शर्तों, पारिश्रमिक और कार्यकाल पर रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत उनसे अपेक्षित शुल्क के साथ एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी के निदेशक के रूप में उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव है। योग्यता और अनुभव, बोर्ड में पहली नियुक्ति की तारीख, अन्य केएमपी और निदेशकों के साथ संबंध, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता नोटिस का हिस्सा हैं।

श्री एम.वी. अय्यर निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि तक इस संकल्प में रुचि रखते हैं।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके रिश्तेदार की संकल्प में वित्तीय रूप से कोई रुचि नहीं है या वे उससे संबद्ध नहीं हैं, सिवाय इसके कि कंपनी में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा संबंधित या प्रस्तावित संकल्प में निर्धारित मानी जाएगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संलग्नद नोटिस में निर्धारित संकल्प (संकल्पों) की सिफारिश की है।

मद सं. 6

कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर उत्तरी क्षेत्र–I (प्रमुख लागत लेखापरीक्षक) के मैसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली, उत्तरी क्षेत्र–II के लिए मैसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी, नई दिल्ली, मध्य क्षेत्र के लिए मैसर्स शोम एंड बनर्जी, कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्र के लिए मैसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स, मुंबई, दक्षिणी क्षेत्र के लिए मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे और पूर्वी क्षेत्र के लिए मैसर्स मणि एंड कंपनी, कोलकाता को लागत लेखा परीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने हेतु नियुक्ति और पारिश्रमिक को मंजूरी दी।

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की कंपनी के सदस्यों द्वारा पुष्टि की जानी आवश्यक है। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्त वर्ष 2020–21 के लागत लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके रिश्तेदार की संकल्प में वित्तीय रूप से कोई रुचि नहीं है या वे उससे संबद्ध नहीं हैं, सिवाय इसके कि कंपनी में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा संबंधित या प्रस्तावित संकल्प में निर्धारित मानी जाएगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस में निर्धारित संकल्प (संकल्पों) की सिफारिश की है।

मद सं. 7

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 23(4) के अनुसार, साधारण संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, यदि किसी संबंधित पार्टी के साथ वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेन(नों) के साथ किए जाने वाले लेनदेन कंपनी के अंतिम लेखा–परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक है।

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) गेल का संयुक्त उद्यम है और कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की एक संबंधित पार्टी है। गेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रत्येक की पीएलएल में 12.50% इक्विटी हिस्सेदारी है। गेल, अन्य बातों के साथ–साथ, पीएलएल से एलएनजी कार्गो और पुनः गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस को खरीदता है तथा दाहेज, गुजरात और कोच्चि, केरल में स्थित पीएलएल एलएनजी पुनः गैसीकरण टर्मिनल(लों) की पुनः गैसीकरण सुविधाओं का उपयोग करता है।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए पीएलएल के साथ लेनदेन का अपेक्षित मूल्य 21,848 करोड़ रुपए है। पीएलएल के साथ लेनदेन व्यवसाय की सामान्य पद्धति और स्वतंत्र आधार पर है। संबंधित पार्टी होने के नाते पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के साथ सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगी जाती है, जो वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान और बाद के वित्तीय वर्षों में वस्तुओं, सामग्रियों की खरीद के लिए, सेवाओं का लाभ उठाने या अन्य संसाधनों और दायित्वों के लिए जो व्यवसाय की सामान्य पद्धति और स्वतंत्र आधार पर है, जिनकी सामग्री समय–सीमा से अधिक हो सकती है अर्थात् पिछली लेखापरीक्षा के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक वित्तीय विवरण या ऐसी अन्य सीमा सीमाएं जो समय–समय पर सेबी (एलओडीआर) में निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों के अनुसार कोई भी संबंधित पक्ष संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेगा, जैसा कि नोटिस में निर्धारित किया गया है, चाहे वह इकाई विशेष लेन–देन के लिए संबंधित पार्टी हो या नहीं। यदि कोई संबंधित पक्ष अनजाने में ऐसे संकल्प(पों) पर मतदान करता है, तो संकल्प पारित करते समय उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके रिश्तेदार की संकल्प् में वित्तीय रूप से कोई रुचि नहीं है या वे उससे संबद्ध नहीं हैं, सिवाय इसके कि कंपनी में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा संबंधित या प्रस्तावित संकल्प में निर्धारित मानी जाएगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस में निर्धारित संकल्प (संकल्पों) की सिफारिश की है।

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 36(3) के अनुसार नियुक्ति/पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त जीवन–वृत्त

मद सं. 3

श्री ई.एस. रंगनाथन, (58 वर्ष) 1 जुलाई, 2020 से गेल (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (विपणन) के रूप में शामिल हुए।

श्री रंगनाथन एक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर हैं, जो विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए है। श्री रंगनाथन को पाइपलाइन परियोजनाओं, संचालन और रखरखाव, विपणन, व्यापार विकास और व्यापार सूचना प्रणाली के क्षेत्रों में तेल और गैस क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं और व्यापार समाधानों को नेतृत्व, प्रबंधन और कार्यान्वयन का लगभग 35 वर्षों का समृद्ध अनुभव है जिसमें इंजीनियरिंग और योजना, प्रक्रिया प्रबंधन, स्कोप प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, अनुसूची प्रबंधन, उद्यम संसाधन योजना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विक्रेता प्रबंधन और गुणवत्ता आश्वासन शामिल है।

श्री रंगनाथन ने 1985 में गेल से अपने करियर की शुरुआत की थी और हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कावेरी बेसिन में क्षेत्रीय पाइपलाइन प्रणाली के प्रमुख और कृष्णा गोदावरी बेसिन में क्षेत्रीय पाइपलाइन प्रणाली के संचालन और रखरखाव के प्रभारी के रूप में भी काम किया है।

श्री रंगनाथन ने कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट ओएंडएम) और महाप्रबंधक (परियोजना) के रूप में काम किया है और निर्माण का प्रभारी होने और दाहेज–विजयपुर, विजयपुर–दादरी और बवाना नंगल पाइपलाइन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू करने सहित उन्हें कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का श्रेय जाता है। उन्होंने हजीरा में गेल की अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक मीटर परीक्षण सुविधा के विकास और व्यावसायीकरण का भी पर्यवेक्षण किया था, जो एशिया में अपनी तरह की पहली है।

वर्तमान कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वे भारत की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। आइजीएल में श्री रंगनाथन ने देश में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में परिचालन के विस्तार और म्यांमार में न्यू यंगन परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय मंच का नेतृत्व किया है। श्री रंगनाथन को आईजीएल का नेतृत्व करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। उन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड एनुअल अवॉर्ड्स 2019 में स्टार पीएसयू श्रेणी में भी विजेता चुना गया है।

व्यापार समाधानों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में दृढ़ आस्था रखने वाले श्री रंगनाथन ने गेल में व्यापार सूचना प्रणाली के प्रमुख के रूप में ओएंडएम और परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में स्मार्ट वर्किंग की दिशा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी।

श्री रंगनाथन भारत और विदेशों में विभिन्न उद्योग मंचों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वह वर्तमान में तरल नियंत्रण और अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई) के शासी बोर्ड में तकनीकी सदस्य हैं और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के तत्वावधान में माप डिजाइन और निर्माण के लिए भारतीय मानकों को अंतिम रूप देने के लिए समन्वय टीम के सदस्य भी थे। श्री रंगनाथन अफगानिस्तान में गैस पाइपलाइन प्रणाली को दुरुस्त करने में एडीबी के सलाहकार रहे हैं और उन्होंने नीदरलैंड में स्थित पाइपलाइन ऑपरेटर्स फोरम में देश का प्रतिनिधित्व किया है।

श्री रंगनाथन के पास कंपनी के 842 इक्विटी शेयर हैं।

श्री रंगनाथन का कंपनी के अन्य निदेशक(कों)/केएमपी के साथ कोई संबंध नहीं है।

श्री रंगनाथन की अन्य कंपनियों में निदेशकता और समिति (समितियों) की अध्यक्षता/सदस्यता निम्न प्रकार हैः

क्र. सं.	अन्य कंपनी में धारित निदेशक पद	समिति का नाम	समिति में धारित पद
1	गेल ग्लोबल (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड	–	–
2	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	–	–
3	कोंकण एलएनजी लिमिटेड	–	–
4	गेल गैस लिमिटेड	–	–

मद सं. 5

श्री एम.वी. अय्यर (57 वर्ष) ने निदेशक (व्यापार विकास) के रूप में 25 नवंबर, 2020 को गेल (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार संभाला था। उन्हें गेल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में 34 से अधिक वर्षों का समृद्ध और विविध अनुभव है। वर्तमान में निदेशक (व्यापार विकास) के रूप में, वह भारत और विदेशों में गेल के व्यापार पोर्टफोलियो के निर्माण, विलय और अधिग्रहण, पेट्रोरसायन ओएंडएम और विस्तार, अन्वेषण और उत्पादन, अनुसंधान और विकास, स्टार्ट–अप, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन और परियोजना विकास के लिए जिम्मेदार हैं।

कार्यकारी निदेशक (परियोजना) के रूप में इससे पहले, उन्होंने कई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो राष्ट्रीय महत्व की थीं। कोच्चि–कूटनाड–मंगलौर–बैंगलोर पाइपलाइन, दाभोल–बैंगलोर पाइपलाइन, विजयपुर–औरैया पाइपलाइन, जगदीशपुर–हल्दिया और बोकारो–धामरा पाइपलाइन, मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा पाइपलाइन और श्रीकाकुलम–अनुगुल पाइपलाइन कुछ परियोजनाएं हैं जो उनके नेतृत्व में पनपी हैं। गेल की छह शहर गैस वितरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी उनकी देखरेख में शुरू किया गया था।

एक लक्ष्य उन्मुख पेशेवर के रूप में, उन्होंने लगातार परियोजनाओं, संचालन और रखरखाव भूमिकाओं में परिणाम दिए हैं। वह गेल में विभिन्न दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए गेल की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं।

अपने करियर के दौरान वे दाभोल एलएनजी टर्मिनल को चालू करने और 100 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना, 5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन जैसे कई अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों से भी जुड़े रहे हैं।

उन्होंने भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों में फैली 1,656 कि.मी. लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कंपनी इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

श्री अय्यर के पास कंपनी के 544 इक्विटी शेयर हैं।

श्री अय्यर का कंपनी के अन्य निदेशक(कों)/केएमपी के साथ कोई संबंध नहीं है।

श्री अय्यर की अन्य कंपनियों में निदेशकता और समिति (समितियों) की अध्यक्षता/सदस्यता निम्न प्रकार हैः

क्र. सं.	अन्य कंपनी में धारित निदेशक पद	समिति का नाम	समिति में धारित पद
1	चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड	––	––